nt>
Title: Need for proper rehabilitation of evacuees of Bhakra Dam in Himachal Pradesh.

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर) (हि.प्र.): हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एवम् पिछड़ा प्रांत है। वहां जिला बिलासपुर एवम् जिला ऊना के बीच बहने वाली सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध १९६२ में बनकर तैयार हुआ जिसका उदघाटन करते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि बांध के लिए भूमि देने वाले एवम् विस्थापितों ने राष्ट्र निर्माण में महती योगदान दिया है और राष्ट्र उनकी कृतज्ञता के लिए उनका धन्यवाद करता है तथा उनके पुनर्वास की ऐसी सम्मानजनक एवम् शालीनता से व्यवस्था की जाएगी जिससे वे अपने जन्मस्थान को भूल जाएंगे। लेकिन आज ३६ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी भाखड़ा एवम् पौंग बांध विस्थापित उनके साथ किए गए वादों के पूरा न होने से दुखी तथा दर-दर की ठोकरें खाने एवम् प्रदेश सरकारों के रहमोकरम पर है। उन्होंने अपने हरे-भरे खेत इसलिए जलमग्न होने दिए ताकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में हरित क्रांति एवम् औद्योगिक क्रांति लाई जा सके, लेकिन उनके साथ उन्हीं राज्यों द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए और वे आज दीन-हीन अवस्था में उक्त राज्यों में बसे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि भाखड़ा एवम् पौंग बांध विस्थापितों के प्रत्येक परिवार को १६ एकड़ जमीन दी जाए, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, विस्थापितों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिना गारंटी के ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को भाखड़ा बांध से दी जाने वाली विद्युत एवम् पानी से प्राप्त होने वाले धन में से १० प्रतिशत धनराशि डिवीडेंड के रूप में सुरक्षित रखी जाए जिसका सिर्फ विस्थापितों को सुविधाएं मुहैया कराने पर व्यय किया जाए, हरियाणा के सिरसा एवम् हिसार जिलों में बसे विस्थापितों के परिवारों में से नवयुवकों को मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पुलिस एवम् अन्य रक्षा सेवाओं में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाए। ये मांगें भारत सरकार से सीधी सम्बन्धित हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय इनको अविलम्ब मानें और राष्ट्र के कृतज्ञ नागरिक भाखड़ एवम् पौंग बांध विस्थापितों के साथ किए गए वादों को शीघ्र पूरा कर उन्हें न्याय प्रदान करें।